APP-A
Crime-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत _____ मुकाम _____

बनाम _____

म मुकदमा _____ नं. _____ सन् _____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कल, पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02/12/22 को पेश हो। SDO	
02/12/22	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। दावा वादी डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। बाद मर्ति दफ्तर दाखिल हो। SDO	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिघंल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 1/528/18
तारीख दायरा : 09.10.2018

उनवान

1. बिरमा देवी पत्नी श्री सौदान कौम मीणा निवासी ग्राम ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र छोटेलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर।
2. रामबाबू पुत्र सम्पत राम जाति जोगी निवासी ग्राम कोडिया तहसील रैणी जिला अलवर।
3. तहसीलदार कम सब रजिस्ट्रार साहब रैणी (अलवर)

(दावा इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट)
उपस्थित – श्री शिवसहाय मीना एडवोकेट वादी

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक : 02.12.2022

वादनी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 3609/0.22, 3743/0.50, 3744/0.80 किता 3 रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम रैणी बी तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल 1/6 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार था तथा उपरोक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य सह खातेदारान के बीच मौके पर बाहमी तौर से बंटी हुई थी जो अलग अलग अपना अपना हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल को अपने घरेलू कार्य के लिऐं रूपयों की आवश्यकता थी इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हिस्सा की उक्त आराजी को जर्ये बैयनामा दिनांक 23.08.2010 तहरीर व तस्दीक दिनांक 25.08.2010 को वादी को विक्रय कर दी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हिस्सा की उक्त आराजी पर कब्जा वादिनी का करा दिया जिस पर वक्त खरीद से ही वादनी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके अन्य भाईयों ने उक्त आराजी को अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा राजगढ में रहन रखकर ऋण ले रखा था इसलिए आराजी उक्त बैंक में रहन होने के कारण नामान्तकरण वादनी के नाम दर्ज नही हो सका और उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने बराये

बदयान्ति बेईमानी पूर्ण आशय रखते हुये उक्त आराजीयात में से खसरा नम्बर 3609, 3643 का अपने नाम दर्ज हिस्सा की आराजी का बेचान का बैयनामा 25.05.2012 को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम तहरीर करवाकर पंजीबद्व करवा दिया जो बैयनामा बमुकाबले वादनी बातिल बेअसर है तथा उक्त बैयनामा से प्रतिवादी संख्या 2 को कोई हकूक खातेदारी प्राप्त नही होते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में मिल्लत करके गलत बैयनामा दिनांक 25.05.2012 के आधार पर वादनी को उक्त आराजी विवादित से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहते है जिसके लिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने दिनांक 07.09.2018 को वादी को जबरन बेदखल करने का अपना ईरादा जाहिर किया और प्रतिवादी संख्या 2 ने बैयनामा दिनांक 25.05.2012 की फोटो प्रति पेश की है जिस बैयनामा के द्वारा उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद करना जाहिर किया और प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 जल्द से जल्द वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर आमादा हो रहे है। जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1,2 को कोई अधिकार नही है और यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा कर दिया तो वादनी को नापूर्ति क्षति हो जावेगी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 समझाने से नही मान रहे है और प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 जल्द से जल्द आराजी से बेदखल करने व आराजी को दीगर सख्स के नाम मुन्तकिल करने के फिराक में है इस कारण वादी को अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हो गया है तथा वादी मुताबिक बैयनामा दिनांक 25.08.2010 के उक्त आराजी का 1/6 हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने का मुस्तहैक है तथा बैयनामा दिनांक 25.05.2012 जो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को विक्रय शुदा आराजी खसरा नम्बर 3609/0.22, 3643/0.50 वाके रैणी का प्रतिवादी संख्या 2 के नाम तहरीर व पंजीबद्व कराया है जो बमुकाबले वादनी बातिल बेअसर होने से मन्सुख किये जाने योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि डिक्री इस्तकरार हक बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 3609/0.22, 3743/0.50, 3744/0.80 किता 3 रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी जिला अलवर का मुताबिक बैयनामा दिनांक 23.08.2010 तहरीर व तस्दीक दिनांक 25.08.2010 के वादनी को 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में जो प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी में दर्ज है को हजफ किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1,2 वादनी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल नही करे वादनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत नही करे तथा उक्त आराजी के किसी भी भाग को इस मौजूदा इन्द्राज के आधार पर रहन बैय या अन्य किसी तरह से मुन्तकिल नही करे।

वाद वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ला0 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने योग्य अधिवक्ता वादनी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी पर नारायण पुत्र छोटेलाल, कमला बेवा छोटेलाल, बाबूलाल पुत्र छोटेलाल राहिन अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा राजगढ जाति ब्राहमण सा0 ईटोली 3/4 हि0 कान्ता देवी पत्नि मनोहरलाल हि0 1/4 कौम ब्राहमण सा0 देह खातेदार का अंकन दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2065–68 में ललिता देवी पत्नि प्रेमनारायण 1/6 हि0 बिलारहन, कमला बेवा छोटेलाल, बाबूलाल पुत्र छोटेलाल 1/3 हि0 राहिन अल सह. भूमि वि. बैंक शाखा राजगढ मु.वि.क. शिम्भू नवीरा जोहरी 1/2 हि. राहिन पीएनबी शाखा रैणी मुबिक कौम ब्राहमण सा0 ईटोली खातेदार का अंकन दर्ज है।

वादनी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 25.08.2010 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 3609 रकबा 0.22 है0, 3743 रकबा 0.50 है0, 3744 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 रकबा 1.52 है0 का बेचान बाबूलाल प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादनी को किया जाना प्रमाणित है।

बैयनामा दिनांक 28.05.2012 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 3612 रकबा 0.47 है0, 3609 रकबा 0.22 है0, 3743 रकबा 0.50 है0, 3611 रकबा 0.28 है0, 3613 रकबा 0.57 है0 हिस्सा मुताबिक डिक्री प्रतिवादी नं0 बाबूलाल द्वारा क्रेता रामबाबू पुत्र सम्पत जोगी को बेचान किया जाना प्रमाणित है।

उपरोक्त दोनो बैयनामों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी नं0 1 बाबूलाल द्वारा विवादित आराजी के दो खसरे 3609 एवं 3743 कुल रकबा 0.72 है0 आराजी को सन् 2010 में वादनी को बेचान कर दिया था तथा उसके उपरान्त इन खसरों को पुनः सन् 2012 में दीगर व्यक्ति रामबाबू (प्रतिवादी नं0 2) को बेचान कर दिया। जबकि प्रतिवादी नं. 1 को पुनः बेचान करने का कोई अधिकार ही नही था। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों को बैयनामा के माध्यम से त्याग कर दिया गया हो तो विक्रय की गई संपत्ति में उसके कोई अधिकार शेष नही रह जाते है। प्रतिवादीगण भी न्यायालय में बावजूद सम्यक तामिल के न्यायालय में हाजिर नही हुये है और ना ही वादनी के कथनों का कोई प्रतिरोध किया है। जहां तक कब्जे का संबंध है वादनी के पक्ष में निष्पादित प्रथम बैयनामा दिनांक 25.08.2010 में विक्रेता द्वारा कब्जा क्रेता को संभलवाये जाने का उल्लेख किया हुआ है। जहां रजिस्टर्ड दस्तावेज में कब्जा सम्भलवाये जाने का तथ्य उल्लेखित है तो ऐसी स्थिति में वादनी का कब्जा होने से इन्कार नही किया जा सकता।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के उपरान्त हम यह पाते है कि वादनी अपने दावे को साबित करने में सफल रही है। लिहाजा दावा वादनी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि

वादनी का दावा डिक्री किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 3609 रकबा 0.22 है0, 3743 रकबा 0.50 है0, 3744 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 रकबा 1.52 है0

वाके ग्राम रैणी बी तहसील रैणी जिला अलवर का मुताबिक बैयनामा दिनांक 25.08.2010 के अनुसार 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त 1/6 हिस्से से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे। तहसीलदार रैणी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

2.12.22

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 02.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.12.22

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 1/528/18
तारीख दायरा : 09.10.2018

उनवान

1. बिरमा देवी पत्नी श्री सौदान कौम मीणा निवासी ग्राम ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र छोटेलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर।
2. रामबाबू पुत्र सम्पत राम जाति जोगी निवासी ग्राम कोडिया तहसील रैणी जिला अलवर।
3. तहसीलदार कम सब रजिस्ट्रार साहब रैणी (अलवर)

(दावा इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट)
उपस्थित – श्री शिवसहाय मीना एडवोकेट वादी

न्यायालय द्वारा :–

:: पर्चा डिक्री :: दिनांक : 02.12.2022

वादनी का दावा डिक्री किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 3609 रकबा 0.22 है0, 3743 रकबा 0.50 है0, 3744 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम रैणी बी तहसील रैणी जिला अलवर का मुताबिक बैयनामा दिनांक 25.08.2010 के अनुसार 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त 1/6 हिस्से से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे। तहसीलदार रैणी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

2.12.22

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)